

न्याय आपके द्वार 2017
डिकी व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


बीरम बनाम अजीत वर्मा

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 1/15
पेश करने की दिनांक - 2.2.15

यह मुकदमा आज वारंते इनफिनाल कतई रूबरु सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रमेश सिंह रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 380/1 रकबा 0.12, 416/0.24 का खातेदार बीरम पुत्र कमरु को खसरा नम्बर 380/0.14, 391/0.40, 399/0.27, 400/0.30, 413/0.06, 414/0.26, 415/0.25, 421/0.14 का खातेदार अजीत पुत्र अल्ली, रोजादीन पुत्र फूली पुत्री अल्ली, रज्जाक उर्फ गुड्डु पुत्री फूली पुत्री अल्ली, ईरमाईल, सत्तार, दीना, नानू पि. हैदर को घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 412/0.02 में वादी बरीम का 1/6 हिस्सा रहेगा। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख व मानचित्र में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 11 माह जूलाई सन् 2017 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला


स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गुणाधिन
वाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिफ

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
वाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिफ

मिजान

मिजान




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

7.17 नोट:- दिनांक 20-7-17 को आइगण की धारे से श्री सीताराम रावत एड. ने एड कोरेस फर चार 152 CPC के हद पेश किया। व निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 11-7-17 को वाड में कोरेस डिक्री पारित की गयी है तथा कोरेस डिक्री में उक्त मुद्दे के उक्त खापरी के स्थान पर डाक भवानीखेडा कोरेस ही गमा है। कोरेस प्रकृत प्रकृत फर के

भाष्यार पर ग्राम जगवानीखेडा के स्थान पर खापरी किला

जाता है ✓

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)



महेश्वर जी के नाम से भूमि कागजात के माफक लेखी जा
... ..